

13/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील उमरापक्ष उपरिपत्रा
 वल क्राप पक्ष के परिपेक्ष्य में पत्रावली का
 अवलोकन किया गया। धारा-212 RT Act के
 प्रोपत्र को Adjudicate करने के लिए प्रपत्र
 को तीन बिन्दुओं पर जाचना आवश्यक है।
 प्राचीन ग्राम सैमलीभवानी की वाडग्रस्त आराप्पी
 खाता नं० 111, 112 व 113, 114 का Recorded Khatedar
 Tenant हैं जिसमें अप्राचीनता का कोई हक व
 अधिकार मारित नहीं है। अतः प्रारण प्रथम हृदय
 प्राचीन के पक्ष में है। प्राचीन की आराप्पी
 ख० नं० 422 की पश्चिमी मेंड के सहारे एव ख०
 419 की उत्तरी मेंड के सहारे अप्राचीनता की
 इस व्यापक्य द्वारा प्रकार सं० 107/2024 अमान
 पवन पारीदार बनाम रामगोपाल में निर्णय
 दिनांक 06/11/2025 से प/स 251A RT में 10
 कीर चौडा एव 473 कीर लम्बा तथा रास्ता
 डिये जाने का आदेश दिया जा चुका है।
 उक्त निर्णय की पालना होने के बाद अप्राचीनता
 वाडग्रस्त आराप्पी में से ख० नं० 419 व 422
 की क्रमशः उत्तरी व पश्चिमी मेंड के सहारे कार्य
 होने वाले नये रास्ते से गुजरने का कानूनी
 अधिकारी होगा। शेष भूमि पर पवनन कान
 करने या नया रास्ता कार्य करने पर हृदय
 सुंभन प्राचीन के पक्ष में होगा और
 पवनन प्रवेश करने या अतिक्रमण करने या रास्त
 बनाने से प्राचीन के हक व अधिकारों को
 हनन एवं भूमि के खुर्द-खुर्द होने से प्राची



को अपूरणीय क्षति भी कारित होगी।
 अतः उपरोक्त विवेचन एवं इल गणना
 द्वारा प्रकरण सं 107/2024 में दिये गये
 निर्णय दिनांक 06/11/2025 के परिपेक्ष्य में
 प्रार्थी का प्राप्ता प/स शिर्षक RT Act & W.O.
 39 & 42 CPC आंशिक रूप से लीकार
 किया जाता है। अप्राथमिक को जारी
 अर्थात् निषेधाज्ञा द्वारा सलामुत्तर इस आशय
 से पाबंद किया जाता है कि वे स्वयं
 पार व पश्च से प्रकरण सं 107/2024 में दिये
 गये निर्णय की पालना होकर सम्बन्धित
 में अमलदरामद होने तक प्रार्थी की वसुला
 भूमि खाना सं 111, 112, 113 व 114 पर ना तो
 अथवा कक्षा / अतिक्रमण करे और ना ही
 नया रास्ता / सीमा-चिह्न बनाये। नये रास्ते
 के आदेश दिनांक 06/11/2025 की पालना होने
 के बाद ही स्वयं पार व पश्च से दिये रास्ते
 का उपयोग व उपभोग करे। पत्रावली
 में अमलदरामद होकर नम्बर से काम होकर
 मूलवाड के साथ सम्बन्धित है।



[Signature]
 13/11/2025
 उपखण्ड अधिकारी
 पिडावा जिला मन्सबाड (गज.)